आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0–16/2024 श्री धनंजय प्रसाद दे, ग्राम+पो0–राजगंज, प्रखण्ड–बाघमारा, जिला–धनबाद का परिवाद पत्र व्हाटसएप्प के माध्यम से आयोग को प्राप्त हुआ है। परिवादी का आरोप है कि पूर्व में उनके पास अन्त्योदय कार्ड था, जो किसी कारण रद्द हो गया। पुनः आवेदन करने पर उनका PH कार्ड बना दिया गया। परिवादी द्वारा सूचित किया गया है कि वे 60 वर्ष के दिव्यांग व्यक्ति हैं एवं कोर्ड अन्य आमदनी का रास्ता नहीं है जिस कारण उनके लिए तीन वक्त का भोजन जुटाना मुश्किल हो गया है। परिवादी द्वारा इस संदर्भ में दिनांक–29.01.2024 एवं दिनांक–04.04.2024 को व्हाटसएप्प के माध्यम से समर्पित आवेदन आवश्यक कार्रवाई हेतु DSO, धनबाद को प्रेषित की गई थी किन्तु इस पर कृत कार्रवाई प्रतिवेदन अप्राप्त रहा। अतः प्राप्त परिवाद पत्र पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–22.07.2024 को निर्धारित की जाती है। प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, धनबाद को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त परिवाद–पत्र की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी, धनबाद को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर एवं अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। दिनांक–22.07.2024 को अपराह्न 12:00 बजे रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग नियमावली, 2015 के नियम 14(4) द्वारा सुनवाई हेतु निर्धारित दो सदस्यीय बेंच पूर्ण नहीं हो पाने के कारण वाद की सुनवाई अगले आदेश तक के लिए स्थगित की जाती है। उभय पक्ष को सूचित करें। (शबनम परवीन) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

D:\Dropbox Files\Anjali\आदेश... docx229

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
07.08.2024	इस वाद की सुनवाई कतिपय कारण से स्थगित की गई थी। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–28.08.2024 को निर्धारित की जाती है। सुनवाई ऑनलाईन किया जाएगा। उभय पक्ष को सूचित करें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

D:\Dropbox Files\Anju\आदेश . . . docx230